रजिस्ट्री सं० डी०(डी०)-72 REGISTERED No. D. (D.)-72

28 FEB 1979

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 73] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 9, 1979/ माघ 20, 1900
No. 73] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 9, 1979/MAGHA 20, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation.

श्रम मंत्रालय

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 1979

का. आ. 81 (अ).—केन्द्रीय सरकार, श्रम जीवी पत्रकार और अन्य समाचार-पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 (1955 का 45) की धारा 13 घघ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह राय होने पर कि पत्रकारों से भिन्न समाचार पत्र कर्मचारियों की बाबत उनकी मजदूरी की दरों के नियतन और पुनरीक्षण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13ग के अधीन गठित मजदूरी बोर्ड कारगर ढंग से कृत्य नहीं कर सका है, अतः पत्रकारों से भिन्न समाचार पत्र कर्मचारियों की बाबत उनकी मजदूरी की दरों के नियतन या पुनरीक्षण के प्रयोजनार्थ एक अधिकरण का गठन करती है, जिसके एक मात्र सदस्य, उच्चतम न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश श्री डी. जी. पालेकर होंगे।

[वी.-24032/1/79-म. बोर्ड]

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 9th February, 1979

S.O. 81(E).—In exercise of the powers conferred by Section 13DD of the Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 (45 of 1955), the Central Government, being of opinion that the Wage Board constituted under Section 13 C of the said Act for the purpose of fixing and revising rates of wages in respect of non-journalist newspaper employees has not been able to function effectively, hereby constitutes a Tribunal consisting of Shri D. G. Palekar, a retired Judge of the Supreme Court for the purpose of fixing or revising rates of wages in respect of non-journalist newspaper employees.

[V-24032/1/79-WB]

का. आ. 82(अ).—केन्द्रीय सरकार, श्रम जीवी पत्रकार और अन्य समाचार-पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 (1955 का 45) की धारा 13कक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह राय होने पर कि श्रम जीवी पत्रकारों की बाबत उनकी मजदूरी की दरों के नियतन या पुनरीक्षण के प्रयोजन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन गठित मजदूरी बोर्ड कारगर ढंग से अपना कृत्य नहीं कर सका है, अतः श्रम जीवी पत्रकारों की बाबत उनकी मजदूरी की दरों के नियतन और पुनरीक्षण के प्रयोजनार्थ एक अधिकरण का गठन करती है, जिसके एक मात्र सदस्य उच्चतम न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश श्री डी. जी. पालेकर होंगे ।

[वी.-24032/1/79-म. बोर्ड]

के. डी. मदन, अपर सचिव

S.O. 82(E).—In exercise of the powers conferred by section 13AA of the Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 (45 of 1955), the Central Government, being of opinion that the Wage Board constituted under Section 9 of the said Act for the purpose of fixing and revising rates of wages in respect of working journalists has not been able to function effectively, hereby constitutes a Tribunal consisting of Shri D. G. Palekar, a retired Judge of the Supreme Court for the purpose of fixing or revising rates of wages in respect of working journalists.

[V-24032/1/79-WB]

K. D. MADAN, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979